न्यायालयः- अपर जिला न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः- सरिता नौशाद, जिला न्यायाधीश संवर्ग

सिविल विविध याचिका संख्याः- 78/2025
सी.आई.एस. नम्बरः- 78/2025
सी.एन.आर. नम्बरः- RJBK130002652025
देवकिशन पुत्र गजानंद जाति राठी (महेश्वरी) निवासी कालूबास वार्ड नम्बर 35, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (राज0)

--याची

बनाम

सोनी कुमारी (सोनीदेवी) पत्नी देवकिशन पुत्री संतोष जाति गौड़ (गुप्ता) निवासी बाबतपुर, वाराणसी, उत्तरप्रदेश ।

--अयाची

याचिका अन्तर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम

उपस्थितः-
1. याची देवकिशन की ओर से न्यायमित्र श्री संजय बोहरा।
2. अयाची सोनी कुमारी (सोनीदेवी) के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:ः आदेशः:ः दिनांकः- 28-03-2026

1. याची देवकिशन ने दिनांक 07-08-2025 को अयाची सोनी कुमारी (सोनीदेवी) के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम का इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि याची का विवाह अयाची के साथ दिनांक 31-10-2017 को बोथरा भवन कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के बाद अयाची याची पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। विवाह का पंजीयन

संख्या 08101004000000400119/2018 है। याची के नत्फे से अयाची के दो संतान पुत्री साक्षी बउम्र 7 साल व पुत्र अनुराग बउम्र 4 साल पैदा हुये। विवाह होने के कुछ समय तक तो अयाची ठीक रही परन्तु बाद में अयाची याची व याची के परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया तथा याची को मानसिक तनाव पहुँचाने लगी। कई बार समझाया गया परन्तु अयाची के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और दिनांक 29-08-2024 को अयाची ने कहा कि उसका यहां मन नहीं लगता है, इसलिए वह पीहर जाना चाहती है। अयाची अपना सारा स्त्रीधन व आभूषण, कपड़े आदि पैकर कर पीहर जाने के लिए तैयार हुयी तो याची ने पांच हजार रूपये नगद देकर ट्रेन से राजीखुशी उसे पीहर भेज दिया परन्तु आज तक अयाची वापिस ससुराल नहीं आई। अयाची को लाने का प्रयास किया गया परन्तु वह नहीं आई। याची आज भी अयाची को अपने साथ रखकर उसका भरण पोषण करने को व उसके साथ घर बसाने को तैयार है परन्तु अयाची ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के याची का अभित्याग करके याची को उसके दाम्पत्य अधिकारों से वंचित कर रखा है आदि आदि। अन्त में याची ने अनुतोष चाहा कि अयाची के विरूद्ध डिक्री जारी की जाए कि वह याची के साथ दाम्पत्य अधिकारों एवं कर्तव्यों की पुनस्र्थापना करें तथा अयाची याची के निवास स्थान पर आकर याची के साथ बतौर पत्नी निवास कर अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करें।

2. अयाची बावजूद नोटिस तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आई, जिस पर उसके विरूद्ध दिनांक 10-11-2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. याची की ओर से याचिका के समर्थन में याची ए.डब्ल्यू.1 देवकिशन व ए.डब्ल्यू.2 जगदीश के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1ए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रदर्श 2 से 4 शादी के फोटो ग्राफस, प्रदर्श 5ए अयाची के आधार कार्ड की फोटो प्रति को प्रदर्शित करवाया गया।

4. याचिका में यह निर्धारित किया जाना है कि क्या अयाची बिना किसी युक्तियुक्त कारण के याची से अलग रह कर अपने दाम्पत्य दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है तथा याची का परित्याग कर रखा है। इस कारण याची अयाची के विरूद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनस्र्थापना की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?

5. बहस एकपक्षीय सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. याची ए.डब्ल्यू.1 देवेकिशन ने अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में याचिका में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए कथन किया कि याची का विवाह अयाची के साथ दिनांक 31-10-2017 को हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के बाद अयाची याची पति-पत्नी के रूप में साथ साथ रहने लगे। याची के नत्फे से अयाची के दो संतान पुत्री साक्षी बउम्र 7 साल व पुत्र अनुराग बउम्र 4 साल पैदा हुये। विवाह होने के कुछ समय तक तो अयाची ठीक रही परन्तु बाद में अयाची याची व याची के परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया तथा याची को मानसिक तनाव पहुँचाने लगी। कई बार समझाया गया परन्तु अयाची के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और दिनांक 29-08-2024 को अयाची ने कहा कि उसका यहां मन नहीं लगता है, इसलिए वह पीहर जाना चाहती है। अयाची अपना सारा स्त्रीधन व आभूषण, कपड़े आदि तथा पांच हजार रूपये लेकर पीहर चली गई परन्तु आज तक अयाची वापिस ससुराल नहीं आई। अयाची को लाने का प्रयास किया गया परन्तु वह नहीं आई। याची आज भी अयाची को अपने साथ रखकर उसका भरण पोषण करने को व उसके साथ घर बसाने को तैयार है परन्तु अयाची ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के याची का अभित्याग करके याची को उसके दाम्पत्य अधिकारों से वंचित कर रखा है। इसी प्रकार के कथन गवाह ए.डब्ल्यू.2 जगदीश के शपथ पत्र में वर्णित किए गए। अयाची बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आयी है। इस प्रकार याची की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य का खण्डन अयाची की ओर से नहीं किया गया है। ऐसे में इस स्तर पर याची की साक्ष्य अखण्डनीय रही है, जिस पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। इस प्रकार याची उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः याची की ओर से प्रस्तुत याचिका एकपक्षीय रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

आदेश

7. फलतः याची देवकिशन की ओर से प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम विरूद्ध अयाची सोनी कुमारी (सोनीदेवी) एकपक्षीय रूप से स्वीकार की जाकर याची के पक्ष में व अयाची के

विरूद्ध दाम्पत्य अधिकारों के पुनस्र्थापना की डिक्री पारित की जाती है। अयाची सोनी कुमारी (सोनीदेवी) को आदेश दिया जाता है कि वह याची देवकिशन के साथ निवास कर अपने दाम्पत्य दायित्वों का पालन करें। याची इस निर्णय की एक प्रति अयाची सोनी कुमारी (सोनीदेवी) को रजिस्टर्ड डाक से अयाची के याचिका में अंकित पत्ते पर सूचनार्थ प्रेषित करेगा। उक्तानुसार डिक्री-पर्चा तैयार किया जाए।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

8- निर्णय आज दिनांक **28-03-2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

-